प्रेषक,

रामबाबू शर्मा,
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– 742 / पन्द्रह दिनांक–30–05–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & outlying Courts of Shahjahanpur District, covered under Orange Zone during the period of lockdown.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1108/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 20 मई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 30–05–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक– 30–05–2020
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

RBSharma. 30/05/2020.

(राम बाबू शर्मा),
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषयः **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

.माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या– 1108/LXXXVII–CPC/e-Courts/ Allahabad/ दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के सम्मानित प्रशासनिक आदेश संख्या–116/2020 दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में, कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 30.05.2020** को सम्पादित कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 101/कोविड–19/2020–2021 दिनांकित 30.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद शाहजहाँपुर के जोन की स्थिति ऑरेन्ज है और जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कन्टेनमेंट जोन में नहीं है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
2. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ–सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालय क़क्षों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फॉगिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
3. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (thermal scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये दो इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
4. **आज दिनांक 30.05.2020 को जनपद मुख्यालय पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 11 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं तथा वाह्य न्यायालय तिलहर एवं पुवांया पर अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं।**
5. **जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या 305 है। आज दिनांक 30.05.2020 को जनपद मुख्यालय पर सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों में कुल 82 कर्मचारीगण उपस्थित आये हैं, तथा वाह्य न्यायालयों में 09 कर्मचारी उपस्थित आयें है, जो कि कुल कर्मचारियों का करीब 30 प्रतिशत है।** सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर ही कार्य सम्पादित कराया गया है।
6. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों द्वारा अपने–अपने न्यायालयों के लम्बित मामलों में प्रकृतिवार सामान्य तिथियां नियत की गयी हैं, जिसकी समेकित सूचना सभी न्यायालयों के कक्षों के बाहर सूचना पटल पर, न्यायालय के विभिन्न गेटों पर चस्पा की गयी है तथा एक प्रति सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सभी न्यायालयों द्वारा सामान्य तिथियों को सी.आई.एस. पर भी

अपलोड किया जा रहा है और वाट्सएप्प मोबाइल अप्लीकेशन द्वारा भी अधिवक्तागण को सूचित किया गया है।

7. अर्जेण्ट प्रकृति के मामलों के प्रार्थना पत्र को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर अनुभाग के ई–फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

8. जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई–मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई–मेल आई0डी0 पर आज दिनांक 30.05.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं लाया जा रहा है।

10. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता की मांग पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु वर्चुअल कोर्ट स्थापित एवं कार्यशील है। यदि किसी न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता द्वारा पूर्व सूचना देकर वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई की मांग की जाती है, तो यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

11. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।

12. वर्णित प्रकृति के अर्जेण्ट मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय कक्षों में नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियाँ रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।

13. वर्णित प्रकृति का अर्जेण्ट कार्य सम्पादित करने वाले सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

14. अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई–कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के डेडीकेटेड ई–मेल सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। सभी न्यायालयों की सामान्य तिथियों की समेकित सूचना वाट्सएप के माध्यम से मोवाईल द्वारा अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक: 30.05.2020

संलग्नक : यथोक्त

Seen. 30/05/2020

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह) 30.05.2020
सदस्य, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

(किरन पाल सिंह) 30.5.2020
अध्यक्ष, कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य, कोरोना समिति/प्रभारी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद
न्यायालय, शाहजहाँपुर।

30/5/2020
(कुलदीप कुमार)
सदस्य, कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक, जनपद
न्यायालय, शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 101 /कोविड–19/2020–2021 दिनांक 30 मई,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर ऑरेन्ज जोन से आच्छादित है। तहसील तिलहर, जलालाबाद, पुवायाँ यथावत हैं। जनपद मुख्यालय के मो0 मोहम्मदजई में 500 मीटर का एरिया कन्टेनमेन्ट जोन है, जो जनपद न्यायालय से दूर है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
नोडल आफिसर,
शाहजहाँपुर।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 20.05.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

Date-30.05.2020

SR. NO	NAME OF COURT	NO. OF CASES TAKEN UP	NO. OF CASES DECIDED	HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND		
						IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
1	District & Sessions Judge	18	3	0	0	0	0	0
2	Principal Judge, Family Court	0	0	0	0	0	0	0
3	A.D.S. J, Court No. 1	0	0	0	0	0	0	0
4	A.D.S. J, Court No. 2	5	0	0	0	0	0	0
5	A.D.S. J, Court No. 4	0	0	0	0	0	0	0
6	A.D.S. J, Court No. 8	9	3	0	0	0	0	0
7	A.D.S. J, Court No. 9	0	0	0	0	0	0	0
8	A.D.S. J, Court No. 5	9	0	0	0	0	0	0
9	Chief Judicial Magistrate	4	3	0	0	2	1	3
10	Civil Judge (S.D.)	5	0	0	0	0	0	0
11	A.C.J.M- I	0	0	0	0	0	0	0
12	Civil Judge (J.D.)	1	0	0	0	0	0	0
	Sub Total	**51**	**9**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	11	6	0	0	2	0	2
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	4	2	0	0	0	4	4
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	2	1	0	0	0	0	0
	Sub Total	**17**	**9**	**0**	**0**	**2**	**4**	**6**
	Grand Total	**68**	**18**	**0**	**0**	**4**	**5**	**9**

3-5-2020